

FROM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला विल्लीङ्गद

नाम

किरम मुकदमा- पत्थरगढी

नं.

सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तारीख में जारी हु
6.11.2021	<p>प्रार्थी की ओर से दलील श्री <u>पैरुल्लू सुलप मेहता</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल/आराजाद के तहत मय नकल जमादन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल/आराजाद के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>करसना</u> पटवार मण्डल <u>करसना</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>12801 रकबा 0.2525</u></p> <p>रकबा <u>0.2525</u> हेक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खालेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जाये।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खालेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>100/-</u> अक्षर <u>एड</u> हजार रुपये कीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये मौजा <u>करसना</u> पटवार मण्डल <u>करसना</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>12801 रकबा 0.2525</u></p> <p>रकबा <u>0.2525</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकममल तौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>28.5.2021</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला

